सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **12 / 2019** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती मिट्टू बाई पिता रामलाल जी पत्नी माना जी डांगी निवासी रूपसागर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता राम लाल जी डांगी निवासी खेडा रोड, चतरसिंह जी के मकान के पास, सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री ओमप्रकाश उर्फ कालूलाल पिता रामलाल जी डांगी, निवासी मेन रोड सवीना, देवीलाल जी जैन के मकान के पीछे सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु.नकारी बाई बेवा रामलाल जी डांगी, निवासी निर्भयशंकर जी दीक्षित के मकान के पास सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमति हुडीबाई पिता रामलाल जी पत्नी दल्लाराम जी डांगी निवासी हून्दरियों का नोहरा, डांगियो का गुडा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
5. मु.वरजुबाई बेवा रामलाल जी डांगी, निवासी निर्भयशंकर जी दीक्षित के मकान के पास सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गिर्वा फैसल दिनांक 01.09.1992 नामान्तरकरण संख्या 431 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः 1. श्री सम्पतलाल जी बोहरा अधिवक्ता अपीलान्ट

2. श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4,5

3. श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2

निर्णय

दिनांकः— 24.09.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गिर्वा के

नामान्तरकरण संख्या 431 निर्णय दिनांक 01.09.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सवीना तहसील गिर्वा के आराजी नं. 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 कुल किता 15 रकबा 4.9800 हे. भूमि इसी प्रकार खाता सं. 43 कुल किता 3 रकबा 0.2500 है. भूमि स्थित हैं जो कन्ना पिता नन्दा जी डांगी के खातेदारी में चल आ रही थी। कन्ना का देहवासान 1983 एवं रामलाल जी का देहवासान 1980 में हो जाने से दोनो का एक ही नामान्तरकरण विरासत से खोलने हेतु पटवारी हल्का को रेस्पोडेन्टस ने प्रार्थना पत्र दिया। सजरे में रामलाल जी के तीन वारिस देवीलाल, कालूलाल मु. नकारी बाई दर्शाये गये जबकि मृतक रामलाल जी के छः वारिस होकर तीन पुत्रिया वरजु बाई, हुडीबाई व मिट्टूबाई हुए। विरासत के नामान्तरकरण में पुत्रियों को छोड दिया गया। नामान्तकरण खोलते समय पुत्रियों को कोई सूचना भी नहीं दी गई। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है। तथाकथित जमीन का नामान्तरकरण रामलाल के बजाय अपीलान्ट व सभी रेस्पोडेन्टस के नाम बराबर हक से खोला जाकर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस बात का ज्ञान प्रथम बार दिनांक 08.0219 को हुआ जब पटवारी हल्का से उक्त जमीन के खाते की नकल लेने गये तब पटवारी साहब ने बताया की यह जमीन तो आपके खाते ही दर्ज नहीं हुई है। नामान्तरकरण सं. 431 रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के नाम ही दर्ज हुई हैं। इस कारण अपीलान्ट ने उसी समय म्यूटेशन की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.02.19 को नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी को पैतृक भूमि से वंचित कर नामान्तरकरण भरकर बिना जांच के ही स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो नोटिस दिया था, न ही सुनवाई का अवसर ही दिया था। एवं बिना सुने ही कथित नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो एबइनीश्योवाईड होकर बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 01. 09.1992 तहसीलदार गिर्वा के आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं रामलाल जी के समस्त वारिसानों के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित नामान्तरकरण की

जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.02.19 को हुई जब वह जमाबन्दी की नकल हेतु पटवारी हल्का के पास पहुचा। उनके द्वारा बताया गया कि लडकियों का नाम जमाबन्दी में नहीं है। उसी समय प्रार्थीया ने कथित म्यूटेशन की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व नकल दिनांक 15.02.19 को प्राप्त हुई जिस पर अपील प्रस्तुत कर दी गई। कथित आदेश वाईड होने से इस मामले में इस बात पर मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। फिर भी प्रार्थी ने जानबुझ कर कोई देरी नहीं की है। अतः दिनांक 01.09.1992 से 08.02.19 तक का समय कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मयाद होने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट स्व.रामलाल की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अपीलीय नामान्तकरण में नाम दर्ज नहीं होने से वह अपील पेश करने की स्वीकृति चाही जा रही है। अतः अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अपील को इकबालिया स्वीकार की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अपील पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है एवं प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर निवेदन किया गया है कि मौजा सवीना तहसील गिर्वा में स्थित भूमि आराजी नं. 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 कुल किता 15 रकबा 4.9800 हे. भूमि इसी प्रकार खाता सं. 43 कुल किता 3 रकबा 0.2500 है. भूमि स्थित हैं जो कन्ना पिता नन्दा जी डांगी के खातेदारी में चल आ रही थी। कन्ना का देहवासान 1983 एवं रामलाल जी का देहवासान 1980 में हो जाने से दोनो का एक ही नामान्तरकरण विरासत से खोला गया। उक्त नामान्तरकरण में

रामलाल जी के सभी वारिसानों के नाम दर्ज नहीं किये गये। मात्र तीन पुत्रों के ही नाम लिखे गये। जबकि तीन पुत्रियां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का नाम दर्ज नहीं किया। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4 व 5 धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने पटवारी हल्का से मिलकर पुत्रियों को छोडकर नामान्तकरण अपने नाम पर दर्ज करवा दिया गया। कथित नामान्तकरण को बिना जांच के ही तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। कानूनन कथित नामान्तरकरण पिता के स्वर्गवास के बाद सभी नेचूरल वारिसों के नाम पर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना दे दी जाती तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किया जो वाईड होकर बिना अधिकार के है। अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 के संबंध में निवेदन किया कि अपीलान्ट को बिना सुने कथित नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। ऐसे कथित आदेश वाईड होने से इस मामले में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं. 431 दिनांक 01.09.1992 को निरस्त फरमाया जाकर स्वर्गीय रामलाल के सभी नेचूरल वारिसों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करे।

अपने प्रार्थनापत्र धारा 96 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रार्थी भी प्रथम श्रेणी की वारिस होकर रामलाल जी की जायन्दा लडकी होकर वैधानिक वारिस है। विरासत का नामान्तरकरण उनके नाम से स्वीकृत नहीं किये जाने से उसे अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। विद्ववान अधिवक्ता ने अपनी बहस की ताईद में आर.बी.जे. 2009 पेज 204, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 257, आर.बी.जे. 2006 पेज 1, आर.आर.डी. 2004 पेज 725, आर.बी.जे. 1998 पेज 380, आर.आर.डी 1994 पेज 308, आर.आर.डी 1995 पेज 567, आर.बी.जे. 1997 पेज 466, आर.बी.जे. 1997 पेज 595, आर.बी.जे. 1997 पेज 257, आर.बी.जे. 1997 पेज 182 दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 स्व.रामलाल की जायन्दा पुत्रियां है। अपीलान्ट के साथ इनका भी नाम उक्त वादग्रस्त भूमि में विरासत से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। अपील अपीलार्थी स्वीकार है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपील का ज्ञान शुरू से ही था। अपीलार्थी द्वारा कोई हक, अधिकार मांगती है तो उसने देर कर दी है। इस कारण अपीलान्ट द्वारा इतने लम्बे समय के बाद अपील करने का अधिकार नहीं रखती है। न अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रार्थनापत्र द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी शुरू से ही थी। अपीलीय नामान्तकरण को स्वीकृत हुए 27 वर्ष हो चुके है। अपीलान्ट का इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा है वह अपने पति के साथ में अपने ससुराल रूपसागर में निवास कर रही है। इतने लम्बे समय के पश्चात भी नामान्तकरण पर कोई आपत्ति नहीं की गई। नामान्तरकरण की अपील 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इतने लम्बे समय के बाद अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। इसके अलावा भी कन्ना के वारिसान के मध्य पूर्व में भी मुकदमा चला। उस समय भी प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार अपीलार्थी को 01.09.92 से 08.02.19 तक के समय को कण्डोन कराने का अधिकार नहीं है।

साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा 27 वर्ष बाद अपीलीय नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की जा रही है। जबकि अपीलान्ट का इस जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा है। अपीलान्ट अपने ससुराल रूपसागर में निवास कर रही है व उसके पति की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। अपील देर से प्रस्तुत करने का कोई ठोस व पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अपील मयाद बाहर होने से मयाद के बिन्दु पर ही अपील निरस्त होने योग्य है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार बताती है तो उसे सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर दाद करने के लिए स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट व निरीक्षक भू

अभिलेख की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण जांच कर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है कि वह रामलाल की पुत्री हो व उसका विवादित भूमि में हक व अधिकार हो। अतः अपील मयाद बिन्दु के आधार पर ही खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमो में स्व.रामलाल जी की पुत्री होकर अपीलीय नामान्तकरण से प्रभावी होना बताया गया। उक्त कथन की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अपीलीय नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जिसमें सुनवाई के अधिकार के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। ऐसे एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा की बाधा नहीं है। तथा अपीलान्ट को ऐसे एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता भी नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र मियाद अधिनियम धारा 5 का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना हमारे मत में न्यायोचित है।

साथ ही न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट स्व.रामलाल की पुत्री होकर वैध वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्री भी प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान पुत्री भी हकदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलीय नामान्तकरण खोला गया है उसमें स्व. रामलाल के सभी वैध वारिसानों के नाम दर्ज नहीं है। जबकि नामान्तकरण निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को स्वर्गीय रामलाल के सभी वैध वारिसानों की जांच आवश्यक रूप से किया जाना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से यह प्रतीत नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसानों के संबध में विस्तृत जांच की गई हो। मात्र पटवारी द्वारा भरकर जो नामान्तरकरण प्रस्तुत किया गया, उसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये स्वीकृत कर दिया गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वर्गीय

रामलाल के सभी वैध वारिसानों की जांच कर ही नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता तो अपीलार्थी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहती। प्रथम दृष्टया अपीलीय नामान्तकरण को पारित किये जाने में सुनवाई के अधिकार के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है, जिसके कारण खारीज योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा ग्राम सवीना का स्वीकृत नामान्तकरण सं. 431 दिनांक 01.09.92 का निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय रामलाल जी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से सभी वारिसानों के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर